**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 75/2023

अनवान : –

1. इन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल सिरसा।

**– वादी**

**बनाम्**

1. इन्द्रपाल पुत्र प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
2. कुलदीप पुत्र प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
3. भूपसिंह पुत्र प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
4. लक्ष्मी पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– असल प्रतिवादीगण**

6. ओम प्रकाश पुत्र पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
7. पुष्पा पुत्री रामेश्वर जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
8. मनीराम पुत्र पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
9. श्रीभगवान पुत्र हरिसिंह जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
10. सहबराम पुत्र पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।

**– तरतीबी प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक: 23/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 392/330 की कुल 4.1870 हैक्ट भूमि में से 7/48 हिस्सा भूमि वादी की बुआ मृतक पुष्पा पुत्री रामेश्वर के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी की बुआ परमेश्वरी पुत्री पतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके देहान्त के बाद जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जसे की वादी की मृतक बुआ परमेश्वरी के वारिसान है उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व मामा के वारिसान के पक्ष में परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है की बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:01 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 ता 4 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 3 बारानी खाता संख्या 392 सम्वत 2073–76 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र परमेश्वरी प्रदर्श–2 आदि प्रदशिर्त करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की वादी की बुआ परमेश्वरी पुत्री पतराम के नाम दर्ज है। परमेश्वरी पुत्री पतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जसे की वादी की मृतक बुआ परमेश्वरी के वारिसान है उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व मामा के वारिसान के पक्ष में परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 बहिब काबिज है। वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 द्वारा जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 392/330 की कुल 4.1870 हैक्ट भूमि में से 7/48 हिस्सा भूमि वादी की बुआ मृतक पुष्पा पुत्री रामेश्वर के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की वादी की बुआ परमेश्वरी पुत्री पतराम के नाम दर्ज है। परमेश्वरी पुत्री पतराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जसे की वादी की मृतक बुआ परमेश्वरी के वारिसान है उपरोक्त कृषि भूमि में कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा नही लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व मामा के वारिसान के पक्ष में परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 बहिब काबिज है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रमेश्वरी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 392/330 की कुल 4.1870 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में मृतक परमेश्वरी पुत्री पतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:01 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 75/2023

अनवान : –

1. इन्द्रपाल पुत्र मनीराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल सिरसा।

– वादी

**बनाम्**

1. इन्द्रपाल पुत्र प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
2. कुलदीप पुत्र प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
3. भूपसिंह पुत्र प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
4. लक्ष्मी पुत्री प्रमेश्वरी पुत्री पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– असल प्रतिवादीगण**

6. ओम प्रकाश पुत्र पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
7. पुष्पा पुत्री रामेश्वर जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
8. मनीराम पुत्र पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
9. श्रीभगवान पुत्र हरिसिंह जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।
10. सहबराम पुत्र पतराम जाति सुनार निवासी चिलकनी हाल–सिरसा।

**– तरतीबी प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 75 सन 2023 निर्णय दिनांक** 23/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 392/330 की कुल 4.1870 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में मृतक परमेश्वरी पुत्री पतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:01 IST
Reason: SelfAttested